महिला विकास निगम, बिहार
समाज कल्याण विभाग

बिहार सरकार

कार्यस्थल
पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न

समस्या और समाधान

कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम क्या है?

संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार 'विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण' अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, रंग, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकने तथा अनुच्छेद 15 जीवन की स्वतंत्रता और सुरक्षा को प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार निर्धारित करता है। इसी परिपेक्ष्य में एक सुरक्षित कार्यस्थल महिलाओं का कानूनी अधिकार है, इसे सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 बनाया गया।

कार्य स्थल पर महिलाओं के साथ होने वाला निम्न व्यवहार यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है:

शारीरिक स्पर्श, यौन ईच्छा का दबाव अथवा अनुरोध, वासनापूरक सांकेतिक टिप्पणियाँ कसना, अश्लील साहित्य, तस्वीरें, किताबें या पर्चियाँ दिखाना या इस प्रकार का अन्य कोई भी शारीरिक, मौखिक, सांकेतिक कृत्य।

अधिनियम के अनुसार कार्यस्थल क्या है?

अधिनियम की धारा 2(व) के अनुसार कार्यस्थल से तात्पर्य है:

- सरकार द्वारा स्थापित, स्वामित्व, नियंत्रित या पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से वित्त पोषित कोई विभाग, संगठन, उपक्रम, प्रतिष्ठान, उद्यम, संस्थान, कार्यालय, शाखा, इकाई, स्थानीय प्राधिकार, सरकारी कंपनी, निगम या सरकारी समिति।
- कोई निजी क्षेत्र संगठन या निजी उद्यम, उपक्रम, उद्यम, संस्थान, प्रतिष्ठान, समिति, न्यास, गैर सरकारी संगठन, इकाई या वाणिज्यिक, व्यवसायिक, रोजगारोन्मुखी, शैक्षणिक, मनोरंजक, औद्योगिक, स्वास्थ्य सेवाएं या वित्तीय गतिविधियाँ जिनमें उत्पादन, आपूर्ति, विक्रय, वितरण या सेवा प्रदान करने वाले सेवा प्रदाता।
- अस्पताल या निजी चिकित्सालय, खेल संस्थान, स्टेडियम, स्पोर्टस कॉम्पलेक्स, स्पर्धा या खेल के स्थान/प्रशिक्षण संस्थान (आवासीय अथवा गैर आवासीय)।
- कोई भी स्थान/स्थल जो कर्मचारियों द्वारा कार्य के बाद या कार्य के दौरान भ्रमण किया जाता है अथवा नियोक्ता द्वारा इस प्रकार की यात्रा करने के लिए उपलब्ध कराये गये वाहन।

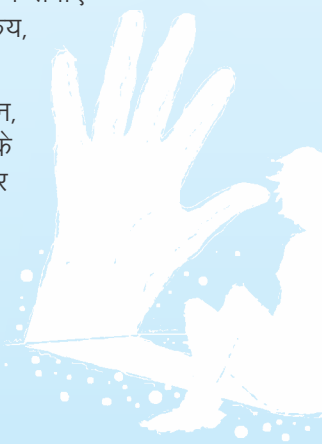

अधिनियम के अनुसार परिवाद समितियों का गठन एवं दायित्व

आंतरिक परिवाद समिति: अधिनियम की धारा 4(1) के प्रावधानानुसार सभी नियोक्ताओं द्वारा लिखित रूप से 'आंतरिक परिवाद समिति' का गठन किया जाना है। यदि नियोक्ता का कार्यालय एवं प्रशासनिक कार्यालय अलग–अलग स्थानों या प्रमण्डल या अनुमण्डल स्तर पर हो, तो वैसी स्थिति में 'आंतरिक परिवाद समिति' सभी प्रशासनिक इकाई एवं कार्यालयों में गठित की जायेगी। धारा 4(2) के प्रावधानानुसार 'आंतरिक परिवाद समिति' के सदस्यों का मनोनयन नियोक्ता द्वारा किया जायेगा, जिसमें समिति की अध्यक्ष कार्यस्थल पर कार्यरत वरीय महिला कर्मचारी होगी। वरीय पदाधिकारी की अनुपलब्धता की स्थिति में अध्यक्ष का मनोनयन नियोक्ता के किसी दूसरे कार्यालय या अन्य विभाग या अन्य संस्थान से किया जायेगा। कर्मियों में से कम–से–कम दो सदस्य ऐसे होंगे, जो महिला मुद्दों के प्रति समर्पित हों या सामाजिक कार्यों का अनुभव रखते हों या विधिक ज्ञान रखते हों। कर्मियों में एक सदस्य महिला मुद्दों पर समर्पित गैर सरकारी संस्था या संघ या यौन उत्पीड़न के मुद्दों के जानकार कोई व्यक्ति होंगे। समिति में कम–से–कम आधे सदस्य महिला होंगी।

अधिनियम की धारा 4(3) के प्रावधानानुसार आंतरिक परिवाद समिति का कार्यकाल नियोक्ता द्वारा मनोनयन की तिथि से 3 वर्ष से अधिक का नहीं होगा। अधिनियम की धारा 4(4) के प्रावधानानुसार समिति में गैर सरकारी संस्था या संघ के सदस्य को आंतरिक परिवाद समिति की बैठक में भाग लेने के लिए नियोक्ता द्वारा यथा निर्धारित पारिश्रमिक या भत्ता प्रदान किया जायेगा। अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानानुसार आंतरिक परिवाद समिति अपने दायित्वों का निर्वहन करेगी।

स्थानीय परिवाद समिति: सरकार द्वारा जिला दंडाधिकारी/अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी/समाहर्ता/अपर समाहर्ता को इस अधिनियम की धारा 5 के अनुसार प्रत्येक जिला हेतु जिला स्तरीय पदाधिकारी नामित किया जायेगा, जो स्थानीय परिवाद समिति को प्राप्त शक्तियों एवं कार्यों के निष्पादन हेतु उत्तरदायी होंगे।

प्रत्येक जिला स्तरीय पदाधिकारी द्वारा संबंधित जिले में स्थानीय परिवाद समिति का गठन किया जायेगा, जो उन कार्यालयों की शिकायत पर कार्रवाई करेगी, जहाँ 10 से कम कर्मी कार्यरत हों अथवा स्वयं नियोक्ता के विरूद्ध शिकायत हो।

शिकायत निष्पादन की प्रक्रिया

कोई भी पीड़ित महिला कर्मी घटना के तीन माह के अन्दर आंतरिक परिवाद समिति/स्थानीय परिवाद समिति को लिखित में शिकायत करेगी। संबंधित समिति द्वारा जाँच के दौरान पीड़ित महिला/प्रतिवादी का किसी अन्य कार्यालय/शाखा में स्थानांतरण एवं पीड़ित महिला को निर्धारित अवकाश के अलावा 3 माह का अतिरिक्त अवकाश हेतु अनुशंसा कर सकती है।

प्रतिवादी के विरूद्ध जाँच के उपरांत शिकायत की पुष्टि होने पर संबंधित समिति द्वारा अधिनियम की धारा 13 के अनुसार कार्रवाई की अनुशंसा की जा सकती है।

अब मैं नहीं डरती

क्योंकि मुझे मालूम है हेल्पलाईन नम्बर

181

सुरक्षा और आत्मसम्मान के लिए

Conceptualized, Designed & Printed by:
purnament@gmail.com

हेल्पलाईन पर किस प्रकार की सहायता मिलेगी?

महिला हिंसा से संबंधित कोई भी शिकायत के निवारण में सहयोग के लिए सहायता मिलेगी।

हेल्पलाईन पर संपर्क कैसे करें?

किसी भी फोन या मोबाईल से नि :शुल्क 181 डायल करें।

क्या हेल्पलाईन पर संपर्क करने की कोई समय सीमा है?

कॉल करने का समय तत्काल सुबह 10 से शाम 6 बजे तक है, जिसे 24 7 किया जाना प्रस्तावित है।

UKaid
from the British people

महिला विकास निगम, बिहार
समाज कल्याण विभाग

बिहार सरकार

महिला विकास निगम, बिहार
समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार
दूसरी मंजिल, इंदिरा भवन, आर. सी. सिंह पथ, बेली रोड, पटना–800 001 (बिहार)
दूरभाष : 0612–2534 096, 2520 695, 2547 843, वेबसाईट : . dcbihar.org.in